



राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवम् लेखा
वित्त भवन, जनपथ
जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2023—2024

दूरभाष : 2740239, 2744861 फ़ैक्स नम्बर — 2742309

E-MAIL : dir-ta-rj@nic.in

प्रस्तावना

निदेशालय कोष एवं लेखा वित्त विभाग के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के संस्थापन तथा नियंत्रण के लिये उत्तरदायी है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत विभाग द्वारा निम्न मुख्य कार्य संपादित किये जा रहे हैं:-


- राज्य के सभी कोषालयों/उपकोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण।
- बजट एवं कोष कार्यालयों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का संचालन।
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान कोषागार नियम में संशोधन हेतु राज्य सरकार को सुझाव/ प्रस्ताव देना।
- वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी देने के लिए कोषालयों से प्राप्त विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय के मासिक आंकड़े संकलित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना।
- राज्य के कोषालयों द्वारा प्रतिमाह रक्षा, केन्द्रीय, उत्तरी रेल्वे तथा पश्चिमी रेल्वे पेंशनर्स को किये जाने वाले पेंशन भुगतान के वाउचर क्रमशः रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, दिल्ली/वरिष्ठ मण्डल लेखाधिकारी/वित्त प्रबंधक उत्तर-पश्चिमी रेल्वे जयपुर को प्रेषित कर उसके पुनर्भरण प्राप्त करने के कार्य में महालेखाकार, राजस्थान को सहयोग प्रदान करना।
- राजस्थान अग्रिम जोखिम निधि का लेखा कोषालयों के माध्यम से संधारण।
- राज्य कर्मचारियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के खातों का कोषालयों के माध्यम से संधारण।
- राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम/द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग का संस्थापन एवं नियंत्रण।
- वित्त भवन का अनुरक्षण एवं रखरखाव।
- अल्प बचत एवं लॉटरी विभाग के बकाया कार्यों का निष्पादन।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	1
2.	स्वीकृत पद	2
3.	बजट प्रावधान (2023-24)	3
4.	अधीनस्थ लेखा सेवा के पदों एवं पदोन्नतियों की स्थिति	4
5.	अनुभागवार कार्य एवं प्रगति	5-20
i	कोष एवं बजट	6-9
ii	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	10-15
iii	कार्मिक	16-17
iv	प्रशासन	18
v	जाँच एवं विधि	19
vi	अल्प बचत	20
6.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि	21-22
7.	सार-संक्षेप	23
8.	वित्त विभाग से संबंधित दूरभाष नम्बर	24
9.	निदेशालय कोष एवं लेखा से संबंधित दूरभाष नम्बर	25
10.	राज्य के कोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर	26-27
11.	राज्य के उपकोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर	28-36

1.विभाग का संगठनात्मक ढांचा

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव



2.स्वीकृत पद

निदेशालय में स्वीकृत पद

क्र.सं.	पद का नाम	निदेशालय कोष एवं लेखा		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
	(अ) राजपत्रित अधिकारी			
1.	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव	1	1	0
2.	अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक	1	1	0
3.	अतिरिक्त निदेशक	2	2	0
4.	संयुक्त निदेशक	4	2	2
5.	उप निदेशक	2	2	0
6.	कोषाधिकारी (ई-कोषालय)	1	1	0
7.	कोषाधिकारी (साईबर ट्रेजरी)	1	1	0
8.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	2	2	0
9.	लेखाधिकारी	7	6	1
10.	उप निदेशक कम ए.सी.पी	2	1	1
11.	अतिरिक्त कोषाधिकारी	2	1	1
12.	सहायक निदेशक	7	4	3
13.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1	9	9	0
14.	सहायक कोषाधिकारी	1	1	0
15.	उप विधि परामर्शी	1	1	0
16.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2	0	2
17.	प्रोग्रामर	3	2	1
18.	निजी सचिव	1	1	0
19.	अतिरिक्त निजी सचिव	2	2	0
20.	संस्थापन अधिकारी	1	1	0
21.	प्रशासनिक अधिकारी	3	1	2
22.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	7	5	2
	योग (अ)	62	47	15
	(ब) अराजपत्रित अधिकारी			
1.	निजी सहायक ग्रेड-1	3	1	2
2.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1	25	25	0
3.	निजी सहायक ग्रेड-1 (आशुलिपिक)	4	4	0
4.	कनिष्ठ लेखाकार	31	17	14
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	15	12	3
6.	वरिष्ठ सहायक	23	24	-1
7.	कनिष्ठ सहायक	44	40	4
8.	सहायक प्रोग्रामर	3	3	0
9.	सूचना सहायक	3	1	2
10.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
11.	वाहन चालक	3	0	3
12.	मशीन मैन	1	0	1
13.	जमादार	2	1	1
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	34	10	24
	योग (ब)	192	139	53
	योग (अ+ब)	254	186	68

- नोट:-**
1. कनिष्ठ लेखाकारों के रिक्त पदों के विरुद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 अस्थाई रूप से कार्यरत हैं।
 2. मंत्रालयिक पदों के पुर्नगठन होने के कारण वरिष्ठ सहायकों के पदों पर 01 कार्मिक का आधिक्य रहा।

3.बजट प्रावधान (2023-24)

राज्य निधि

(राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 2023-24 के लिये स्वीकृत मूल अनुदान	दिसम्बर 2023 तक व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	2054-00-095-01-00 दत्तमत (निदेशालय)	2909.01	3068.61	
2	2054-00-095-01-00 प्रभृत (निदेशालय)	01	0	
3	2054-00-097-05-01 दत्तमत (कोष/उपकोष)	18925.21	12076.28	
4	4059-80-051-(42)-00-17	220.51	9.29	
5	4059-80-796-(02)-(01) 4059-80-789-(07)-(01)-17	16.35 0.01	0 0	
6	2054-00-097-(01)-00-05 2054-00-097-(01)-00-62	100.0	0	
7	2054-00-097-(03)-62	13600.00	2604.41	
8	2054-00-800-05-01 (CMSDC)	1911.98	301.15	
9	2054-00-190-01-01	100.02	100.00	
10	2054-00-800-06-01	0.02	111.78	
	योग	37784.11	18271.52	

4. अधीनस्थ लेखा सेवा के पदों एवं पदोन्नतियों की स्थिति

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2023-24	गत तीन वर्षों का प्रगति विवरण		
			2022-23	2021-22	2020-21
1.	अधीनस्थ लेखा सेवा के स्वीकृत पद				
(1)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1	2573	2449	2311	2172
(2)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-2	3815	3754	3599	3496
(3)	कनिष्ठ लेखाकार	5722	5547	5402	5332
2.	अधीनस्थ लेखा सेवा में नवीन नियमित नियुक्तियाँ				
(1)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-2	—	—	—	—
(2)	कनिष्ठ लेखाकार	—	—	05	05
3.	अधीनस्थ लेखा सेवा में/से पदोन्नतियाँ				
(1)	लेखाधिकारी	—	128	175	182
(2)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1	—	425	394	312
(3)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-2	—	3300	07	—

5. अनुभागवार कार्य एवं प्रगति

(i) कोष एवं बजट अनुभाग

कोष एवं बजट अनुभाग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट) एवं पदेन परियोजना निदेशक (आई.एफ.एम.एस) प्रभारी अधिकारी है।

1. बजट एवं कोष की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन, नियम/निर्देशों को जारी किए जाने एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।
2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से रक्षा पेंशनर्स के भुगतान संबंधित कोई वाउचर विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।
3. चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे पेंशन भुगतान संबंधित कोई वाउचर प्राप्त नहीं हुआ है।
4. दीर्घकालीन ऋण— राज्य कर्मचारियों को दीर्घकालीन ऋणों के अदेय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दीर्घकालीन ऋणों के संधारण का कार्य दिनांक 01.07.1988 से महालेखाकार, राजस्थान से अपने अधीन लिया जाकर कोष कार्यालयों के माध्यम से संपादित किया जाना प्रारम्भ किया गया। इसके साथ-साथ महालेखाकार से निम्नलिखित अवधि का बकाया कार्य भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया:—

i. भवन अग्रिम के दिनांक 01.04.1987 से 30.06.1988 तक के लेखों के संधारण।

ii. वाहन अग्रिम के दिनांक 01.04.1986 से 30.06.1988 तक के लेखों का संधारण।

दिनांक 01.07.1988 से दीर्घकालीन ऋणों के लेखों के संधारण का कार्य कोषालयों द्वारा किया जा रहा है एवं अदेयता प्रमाण पत्र देने से संबंधित कार्यवाही भी कोषालय स्तर पर ही की जाती है। निदेशालय द्वारा दिनांक 01.07.1988 से पूर्व के अपूर्ण खातों को संशोधित कर संबंधित कोषालय को भेजना, कोषालयों में अप्राप्त खातों की सत्यप्रति जारी करना एवं कोषालयों को मार्गदर्शन देने का कार्य सम्पादित किया जाता है।

दिनांक 31.03.2004 तक स्वीकृत भवन अग्रिम की कटौतियाँ (बैंक द्वारा अधिकृत किये गये भवन निर्माण ऋणों से संबंधित) वेतन माह मई, 2004 से एस.बी.आई. (तत्कालीन एसबीबीजे) सचिवालय ब्रांच, जयपुर को कोषाधिकारियों द्वारा डी.डी./चैक से भेजी जा रही थी। माह सितम्बर 2017 से पे-मैनेजर के माध्यम से ई-भुगतान से बैंक को उक्त राशि प्रेषण की जा रही है।

5. राजस्थान अग्रिम जोखिम निधि— दिनांक 01.04.1990 से राजस्थान अग्रिम जोखिम निधि का कार्य निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से लिया जाकर कोषालयों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। कोषालयों से प्राप्त अग्रिम निधि की सूचना के आधार पर महालेखाकार राजस्थान, जयपुर की ब्राडशीट के आंकड़ों से मिलान करना, बजट, मार्गदर्शन एवं नियन्त्रण निदेशालय द्वारा किया जाता है।
6. लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2012— कोष/उपकोष कार्यालयों से भुगतान की जाने वाली सिविल पेंशन को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लिया गया है। लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त निदेशक (विधि) को नोडल अधिकारी बनया गया है तथा क्रियान्विति सुनिश्चित की जा रही है।

कोषालयों/उपकोषालयों के मुख्य कार्य:-

कोषालयों का प्रमुख कार्य राज्य सरकार के आय-व्यय के प्रारम्भिक लेखों का संकलन एवं संधारण करना है, जिनके आधार पर राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच समायोजन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा अनुभाग, जयपुर द्वारा किया जाता है। यह कार्य 01.10.1987 से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर द्वारा किया जाता था। कोषाधिकारियों द्वारा मासिक लेखे महालेखाकार, राजस्थान को प्रस्तुत किये जाते हैं। वर्ष 2022-23 (नवम्बर 2022 तक) के दौरान अधिकांश कोषाधिकारियों द्वारा मासिक लेखे समय पर महालेखाकार को प्रस्तुत किये गये हैं। कोष प्रणाली का समस्त कार्य एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर ही सम्पादित किया जा रहा है तथा मासिक लेखे एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन ही प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

1. राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कुल 56 कोष कार्यालय तथा 240 उपकोष कार्यालय (231 उपकोष एवं 09 पेंशन उपकोष) कार्यरत हैं।
2. समस्त कोषालयों, उपकोषालयों एवं नई दिल्ली स्थित भुगतान एवं लेखाधिकारी द्वारा उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिलों और अन्य प्रकार के बिलों को पारित कर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान किया जाता है। कोषाधिकारियों एवं उपकोषाधिकारियों से राजस्थान कोषागार नियमावली, वित्तीय नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन बनाए रखना भी अपेक्षित है। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों को ऑनलाईन बिल मय दस्तावेज प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
3. सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा ज्यूडिशियल एवं नॉन ज्यूडिशियल, शेयर हस्तान्तरण, नोटेरी, राजस्व आदि सभी प्रकार के स्टाम्पों की बिक्री, स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से एवं सीधी क्रेता को भी की जाती है। विभिन्न अनुबन्ध एवं दस्तावेजों पर लगाने वाले स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प कोषालय/उपकोषालय द्वारा बिक्री किये जाते हैं। इस हेतु आईएफएमएस के अन्तर्गत स्टाम्प मॉड्यूल भी विकसित किया गया है।
4. राजकीय उपक्रम, बोर्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगरपालिका, कृषि उपज मण्डी समिति एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा निजी शिक्षण संस्थाओं के निजी निक्षेप खातों का संधारण भी कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान/ऋण एवं अन्य प्रकार की राशि प्रथमतः इन निजी निक्षेप खातों में जमा की जाती है। इन खातों से राशि का आहरण दिनांक 01.09.2017 से ई-भुगतान प्रणाली द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। निजी निक्षेप खातें खोलने व राशि हस्तान्तरण का कार्य भी ऑनलाईन ही किया जा रहा है।
5. कोषालयों द्वारा राज्य सरकार के आय एवं व्यय के आंकड़े का संकलन कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक लेखों की प्रथम सूची तथा अगले माह की 5 तारीख तक द्वितीय सूची महालेखाकार कार्यालय तथा निदेशालय कोष एवं लेखा को सिस्टम पर ऑनलाईन भेजी जाती है। दैनिक लेखा प्रेषण की कार्यवाही भी सिस्टम पर कोष कार्यालयों द्वारा की जा रही है।

6. राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय हेतु उपलब्ध कराये गये ऋण के लेखों के संधारण का कार्य कोषालयों द्वारा किया जाता है एवं इस संबंध में अदेयता प्रमाण-पत्र भी संबंधित कोषालय द्वारा जारी किये जाते हैं।
7. रक्षा पेंशनर्स, रेलवे पेंशनर्स, राज्य तथा केन्द्र के स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायकगण एवं अन्य राज्यों के पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान संबंधित कोषालयों द्वारा किया जा रहा है।
8. राज्य पेंशनर्स व केन्द्रीय पेंशनर्स को भुगतान आईएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है।
9. रक्षा पेंशनर्स के पेंशन भुगतान वाउचर कोषाधिकारियों द्वारा तथा महालेखाकार राजस्थान द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से PCDA इलाहाबाद को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिसका पुनर्भरण UTR के तहत Online महालेखाकार, जयपुर को प्राप्त हो रहा है।
10. जयपुर में ई-कोषालय द्वारा ई-ग्रास के माध्यम से सभी राजस्व मदों में इलेक्ट्रॉनिक प्राप्तियों का संधारण एवं लेखांकन किया जा रहा है। ई-ग्रास के अंतर्गत वर्तमान में करदाताओं/जमाकर्ताओं को 9 एजेन्सी बैंको यथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक के माध्यम से राशि जमा कराने का विकल्प उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ई-ग्रास के तहत राजस्व जमाकर्ताओं को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पेमेन्ट गेटवे एसबीआई ई-पे तथा पंजाब नेशनल बैंक के पीएनबी गेटवे के माध्यम से राशि जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत जमाकर्ताओं को ई-ग्रास पर सीधे भुगतान हेतु अधिकृत 9 बैंकों के अतिरिक्त अन्य 47 बैंकों के माध्यम से भी ऑनलाइन (Net Banking/Debit/CreditCard/Maestro/Master/Visa/Rupay/Amex Card) राजस्व जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मैनुअल भुगतान से जमा राजस्व (पीडी खातो व माइनस व्यय को छोड़कर) का भी संधारण ई-मोड पर ई-कोष द्वारा किया जा रहा है। ई-कोषालय को भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जीएसटी लेखांकन प्रक्रिया से भी संबद्ध कर एसजीएसटी मासिक लेखों को महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ई-ग्रास के साथ मोबाईल एप विकसित कर उपलब्ध करवाई गई तथा पीएनबी पेमेन्ट गेटवे भी संयोजित कर दिया गया है। जिससे 47 बैंक संबद्ध हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को IFMS 3.0 के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन कर राजस्व प्रबंधन भी एक ही स्थान पर सुगमता से उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध होगी। ई-कोषालय द्वारा राज्य सरकार के ई-राजस्व के साथ-साथ मैनुअल राजस्व जमा (पी.डी. खातों व माइनस व्यय को छोड़कर) के लेखों का संकलन कर महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

11. वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.12.2023 तक 08 कोषालयों एवं 18 उपकोषालयों का प्रशासनिक निरीक्षण किया गया है।

12. कोष एवं उपकोष कार्यालयों के सृजन एवं भवन निर्माण की स्थिति:—

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2023-24	गत तीन वर्षों का प्रगति विवरण		
			2022-23	2021-22	2020-21
1	कोषालयों/उपकोषालयों के संबंध में				
1	नवीन कोषालयों का सृजन	15*	0	0	0
2	नवीन उपकोषालयों का सृजन	0	0	0	0
3	नवीन भवन निर्माण	0	0	0	0

* 1. अनुपगढ़ 2. बालोतरा 3. दूदू 4. डीग 5. डीडवाना-कुचामन 6. फलोदी 7. गंगापुर सिटी 8. केकड़ी 9. कोटपूतली-बहरोड़ 10. खैरथल- तिजारा 11. नीम का थाना 12. सलूमबर 13. सांचौर 14. शाहपुरा 15. साईबर कोषालय जयपुर

13. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा लागू किये गये SNA-SPARSH (समायोजित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) के अंतर्गत साइबर ट्रेजरी की स्थापना की गई है। इस कोषालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBMG) ग्रामीण के भुगतानों तथा लेखांकन का कार्य किया जा रहा है।

(ii) एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली **(Integrated Financial Management System)**

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट) एवं पदेन परियोजना निदेशक (आई.एफ.एम.एस) प्रभारी अधिकारी है। एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के बजट व लेखांकन को ऑटोमेशन किया जा चुका है।

प्रथम चरण के अन्तर्गत –

1. उक्त परियोजना में कोषालय/उपकोषालय/डीडीओ ऑनलाइन सम्पर्क में है तथा राज्य के भुगतान व प्राप्तियां रियल टाइम बेसिस पर निदेशालय सम्बद्ध विभागों/कार्यालयों तथा वित्त विभाग में देखी जा सकती है कोषालयों द्वारा ऑनलाइन बजट नियंत्रण किया जा रहा है।
2. वित्त विभाग के मुख्य कार्यकलाप बजट लेखांकन, आय एवं व्यय का सम्पादन एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है।
3. उक्त प्रणाली के तहत कोष से संबंधित समस्त कार्य सभी कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा सम्पादित किए जा रहे हैं। कोषालयों द्वारा ऑनलाइन प्रणाली में उपलब्ध बजट सीमा तक ही बिल पारित किये जा रहे हैं।
4. वर्ष 2011-12 में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत बजट मुद्रण, बी.एफ.सी. बैठको हेतु ऑनलाइन विभागीय प्रस्ताव, ऑनलाइन बजट आवंटन, ऑनलाइन कोष कार्य, बैंकों/महालेखाकार को इन्टरफेस ऑनलाइन संवेतन बिल इत्यादि कार्य किये गये।
5. ऑनलाइन वेतन बिल प्रणाली दिनांक 01.04.2012 से समस्त कोषालयों में लागू की जा चुकी है जिसने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन वेतन बिल प्रेषित किये जा रहे हैं व कोषालयों द्वारा उन बिलों को ऑनलाइन पारित कर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वेतन तथा अन्य दावों का भुगतान किया जा रहा है।
6. दिनांक 16.08.2012 से समस्त राजकीय दावों का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।
7. दिनांक 01.12.2012 से ई-कोषालय स्थापित किया गया है जिसमें समस्त ऑनलाइन राजस्व प्राप्तियों का संकलन किया जा रहा है।
8. वर्ष 2012-13 में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत निम्न सुविधाएं विकसित की गईं:—
 - I. ऑनलाइन भुगतान प्रणाली।
 - II. आधार आधारित भुगतान प्रणाली।
 - III. ऑनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण।
 - IV. बैंको से सीधे भुगतान स्टेट्स प्राप्त करने की प्रक्रिया।
 - V. ऑनलाइन स्कॉल।
 - VI. ई-भुगतान के माध्यम से राजस्व प्राप्ति हेतु ई-ग्रास का प्रारम्भ।
 - VII. ई-कोषालय की स्थापना।
 - VIII. इन्टरनेट बैंकिंग से राजस्व जमा कराने की सुविधा।
 - IX. पी.डी. खातों के संधारण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था इत्यादि कार्य किये गये।

द्वितीय चरण के अन्तर्गत –

9. वर्ष 2013-14 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं:-
- I. ई-ग्रास से वाणिज्यिक कर विभाग के पोर्टल का इन्टीग्रेशन।
 - II. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऑनलाइन मॉड्यूल का विस्तार।
 - III. सिविल पेंशन हेतु ऑनलाइन पीपीओ/जीपीओसीपीओ जनरेशन करने की सुविधा।
 - IV. बैंको द्वारा किए जा रहे मासिक पेंशन भुगतान की कोषालयों के स्तर पर जांच हेतु ऑनलाइन पेंशन चौक रजिस्टर।
 - V. स्टैम्प्स के संधारण हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल।
 - VI. ई-ग्रास के अन्तर्गत मैनुअल जमा चालानों हेतु चालान जनरेट करने की सुविधा।
 - VII. दिनांक 01.08.2014 से समस्त मैनुअल चालान ई-ग्रास साइट से ही जनरेट किये जा रहे हैं।
10. वर्ष 2014-15 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं:-
- I. मैनुअल जमा राजस्व के चालानों का ई-ग्रास से जनरेट कर जमा कराया जाना अनिवार्य किया गया।
 - II. आबकारी विभाग, ई-मित्र, खान एवं भूगर्भ विभाग, परिवहन विभाग का इन्टीग्रेशन।
 - III. ई.सी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी. के भुगतानों हेतु सिंगल फाइल जनरेट करने की सुविधा दी गई।
 - IV. कर्मचारियों के आवास एवं वाहन ऋण हेतु एलटीए मॉड्यूल प्रारम्भ किया गया।
 - V. पेंशन के प्रथम भुगतान भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने प्रारम्भ किए गए।
 - VI. ऑनलाइन बिल प्रणाली में बिलों की संबंधित ऑब्जेक्ट हैड से मैपिंग की गई जिससे संबंधित मद में ही बिल बनाया जा सके।
 - VII. समस्त कोषालयों द्वारा बैंकों द्वारा किए गए सिविल पेंशन के भुगतानों की ऑनलाइन पेंशन बैंक रजिस्टर से जांच कर स्वीकार किया जा रहा है।
 - VIII. इस प्रणाली के अन्तर्गत एजेन्सी बैंकों व महालेखाकार कार्यालय को भी इन्टरफेस दिया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत एजेन्सी बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व राजस्व प्राप्ति तथा स्कॉल उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं। महालेखाकार कार्यालय द्वारा भी इस प्रणाली के माध्यम से तैयार किए गए कोषालयों के लेखों के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्राप्त कर लेखों का संधारण किया जा रहा है।
11. वर्ष 2015-16 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं:-
- I. निर्माण विभागों के लेन-देनों को कोषालयों के माध्यम से किए जाने हेतु वित्त (जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र दिनांक 14.09.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रक्रिया पायलट आधार पर 5 डिविजनों में दिनांक 01.10.2015 से लागू की गई है। निर्माण खण्डों के संव्यवहार कोषालय से किए जाने का कार्य सम्पूर्ण रूप से 01.04.2016 से समस्त खण्डों में लागू किया जा चुका है।
 - II. दिनांक 02.11.2015 से राज्य के राजस्व डेबिट/क्रेडिट कार्ड से जमा करवाने की सुविधा ई-ग्रास पर उपलब्ध करवाई गई।
 - III. प्रधान महालेखाकार कार्यालय को 5 कोषालयों का ई-लेखा (भौतिक वाउचर एवं चालानों के साथ) प्रस्तुत किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है।

12. वर्ष 2016-17 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं:-
- I. पंचायतीराज कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालयों के माध्यम से किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
 - II. ऑनलाईन अंक मिलान प्रक्रिया तीन बजट नियंत्रण अधिकारियों के साथ दिनांक 01.04.2016 से वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.02.2016 के क्रम में पायलट बेसिस पर प्रारम्भ की गई।
 - III. पी.डी. खातों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया भी 4 पी.डी. खातों में दिनांक 01.11.2016 से पायलट बेसिस पर वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2016 के क्रम में प्रारम्भ की गई।
 - IV. ई-भुगतान के संबंध में मोबाईल एप एवं एस.एम.एस. की सुविधा भी प्रारम्भ की गई।
 - V. ई-ग्रास पर ई-भुगतानों के संबंध में भी मोबाईल एप से संव्यवहार देखने की सुविधा विकसित कर ली गई।
 - VI. उपकोषाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षरों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किए जाने की प्रक्रिया 4 उपकोषालयों (चौमू, बहरोड, केकड़ी एवं गंगापुरसिटी) में दिनांक 01.02.2017 से पायलट बेसिस पर प्रारम्भ किए गए।
13. वर्ष 2017-18 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं:-
- I. राज्य कार्मिकों के ऑनलाईन यात्रा बिल प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ की गई।
 - II. राज्यकार्मिकों के ऑनलाईन चिकित्सा बिल प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया दो विभागों निदेशालय, कोष एवं लेखा मय कोषालयों/उपकोषालयों तथा निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पायलट के आधार पर दिनांक 15.09.2017 से प्रारम्भ की गई।
 - III. ई-ग्रास पर मोबाईल एप की सुविधा दिनांक 02.10.2017 से प्रारम्भ की गई।
 - IV. पी.डी. खातों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया सभी संस्थाओं/निगमों में दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ की गई।
 - V. IFMS के तहत भामाशाह पोर्टल के माध्यम से इंटीग्रेशन कर भुगतान किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
 - VI. पी.डी. खातों में Sub-User बनाकर भुगतान किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई है।
 - VII. सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं एरियर भुगतान की सुविधा पे-मैनेजर पर उपलब्ध करवाई गई।
 - VIII. GST के लेखांकन की नवीन प्रक्रिया भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तैयार करवाकर ई-कोषालय से संबद्ध की गई।
 - IX. सभी उपकोषाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी।
 - X. राजस्व प्राप्तियों से संबंधित मैनुअल भुगतानों को ई-मोड पर स्थानान्तरित कर ई-कोष से संबद्ध किया गया जिसमें राजस्व जमाकर्ताओं को एजेन्सी बैंको की किसी भी शाखा में चालान के माध्यम से मैनुअल भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गयी।
 - XI. एस.बी.आई व एस.बी.बी. जे. बैंको को समामेलन के कारण IFMS में संबद्ध प्रक्रियाओं को पूर्णतया परिवर्तित किया गया।
 - XII. पी.डी. खातों के ऑनलाईन खोलने की प्रक्रिया कोषालयों से संबद्ध की गयी।

14. सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं एरियर भुगतान की सुविधा पे-मैनेजर पर उपलब्ध करवाई गई है।
15. सभी उपकोषाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
16. दिनांक 01.08.2018 से राज्य कार्मिकों के चिकित्सा बिल ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई।
17. कोषालय जयपुर (शहर) के ई-भुगतान माह जुलाई 2018 के पायलट के आधार पर ई-कुबेर पोर्टल से प्रारम्भ किये गये हैं तथा कोषालय अजमेर एवं सीकर के ई-भुगतान दिनांक 22.10.2018 से ई-कुबेर पोर्टल से प्रारम्भ किये गये हैं। शेष कोषालयों के दिनांक 01.04.2019 से ई-कुबेर पोर्टल से किये जा रहे हैं।
18. वर्ष 2018-19 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं-
 - I. दिनांक 01.10.2018 से GST TDS की कटौती किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई है।
 - II. पे-मैनेजर व ई-ग्रास पर सुरक्षात्मक उपाय संयोजित किये गए।
 - III. पीएनबी पेमेन्ट गेटवे हेतु आवश्यक इंटीग्रेशन ई-ग्रास से किया गया।
 - IV. निर्माण कार्य हेतु बीएसआर मॉड्यूल विकसित किया गया।
 - V. महालेखाकार कार्यालय से ई-लेखा व ई-अंकमिलान प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु सिस्टम विकसित किये जाने की एसआरएस का अन्तिमकरण (Finalization) कर अनुमोदन करवाया गया।
19. वर्ष 2019-20 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रारम्भ की गई हैं-
 - I. दिनांक 01.04.2019 से सभी कोषालयों/उपकोषालयों का ई-भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ किया गया।
 - II. निर्माण विभागों हेतु ऑनलाईन बीएसआर तैयार करने एवं ऑनलाईन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2019 से पायलट आधार पर 5 डिविजनों के साथ प्रारम्भ की गई है।
 - III. राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों हेतु विभागों/आहरण वितरण अधिकारियों/पीडी खाता धारकों/खण्डीय खाताधारकों के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.09.2019 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर कार्मिकों के मास्टर डेटा को विभागाध्यक्ष स्तर पर अधिकृत करने स्वीकृत पदों के कार्यालयवार वितरण, पेंशन अधिकृति के आधार पर लीव एन्केशमेंट का मॉड्यूल भी सम्बद्ध किया गया।
 - IV. ई-ग्रास पर भीम/यूपीआई को सम्बद्ध किया गया।
 - V. विधानसभा व लोकसभा चुनावों के दौरान कार्मिकों को देय भत्तों इत्यादि का भुगतान आईएफएमएस से सम्बद्ध कर ऑनलाईन किया गया।
 - VI. राजकोष पर कन्टीन्जेंसी मॉड्यूल को सम्बद्ध किया गया।

20. वर्ष 2020-21 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत निम्न सुविधाएं विकसित की गईं—
- I. माह मार्च 2020 के मासिक लेखा की द्वितीय सूची से महालेखाकार कार्यालय को ऑनलाइन लेखा (ई-लेखा) दिनांक 01.04.2020 से ऑनलाईन प्रेषित किया जा रहा है।
 - II. वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से महालेखाकार कार्यालय से अंकमिलान का कार्य ऑनलाइन प्रारम्भ किया गया है।
 - III. वित्त (जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.09.2020 के द्वारा निर्माण विभागों हेतु ऑनलाइन तकनीकी स्वीकृति कार्यादेश, जी-शिड्यूल व मेजरमेंट बुक तैयार करने संबंधी प्रक्रिया दिनांक 02.11.2020 से पायलट आधार पर प्रारम्भ की गई जिसे माह जनवरी 2021 से समस्त निर्माण विभागों/वन विभागों में प्रारम्भ कर दिया गया है।
21. वर्ष 2021-22 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत निम्न सुविधाएं विकसित की गईं—
- I. निर्माण विभागों के कार्यों के समुचित पर्यवेक्षण हेतु तथा संवेदकों के भुगतानी में अधिक पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, बी.एस.आर, जी-शिड्यूल व मेजरमेंट बुक से संबंधित समस्त प्रक्रियाएँ विकसित की गईं, जिसे वित्त (जी.एण्ड टी.) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.01.2021, 15.03.2021 के द्वारा समस्त निर्माण विभागों/वन विभाग के समस्त निर्माण/वन खण्डों में दिनांक 01.04.2021 से लागू किया गया है।
 - II. वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 17.06.2021 के द्वारा कार्मिकों के वेतन बिलों की ऑटोमेशन की प्रक्रिया माह जुलाई, 2021 के वेतन बिलों के साथ प्रारम्भ की गई हैं।
 - III. वित्त (जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र दिनांक 12.08.2021 के द्वारा टेलीफोन एवं पत्र-पत्रिकाओं के व्यय पुनर्भरण की ऑटोमेशन प्रक्रिया माह सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ की गई हैं।
 - IV. एनपीएस कटौतियों के बिलों एवं सीआरए को राशि हस्तांतरण किये जाने की प्रक्रिया का ऑटोमेशन माह दिसम्बर, 2021 से प्रारम्भ किया गया है। जिसके अंतर्गत संबंधित कार्मिकों की कटौतियां व नियोक्ता अंशदान को बिना किसी विलम्ब के वेतन भुगतान के साथ-साथ ही एनएसडीएल को हस्तांतरित किया जा रहा है।
 - V. योजना संचालन के लिए एकल नोडल बैंक खाता एवं एकल नोडल पीडी खाते के माध्यम से संव्यवहार करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अंतर्गत केन्द्रीकृत रूप से योजना संचालन का पर्यवेक्षण संभव होगा तथा सभी परिलाभ हस्तांतरण भी ई-भुगतान के माध्यम से ही होंगे।

22. वर्ष 2022-23 में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के तहत निम्नांकित सुविधाएं विकसित की गईं—
- I. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 21.03.2022 के अनुसार दिनांक 01.04.2022 में बिल रेफरेन्स नम्बर को ही बिल नम्बर माना जा रहा है।
 - II. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.04.2022 के अनुसार दिनांक 01.05.2022 से यूनिफाईड निजी निक्षेप खाता पद्धति प्रारम्भ की गई है।
 - III. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 13.04.2022 के द्वारा ऑनलाईन जमा हुए राजस्व चालानों को विभाग द्वारा डिफेस किए जाने के पश्चात् रिफण्ड किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं।
 - IV. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 09.06.2022 के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से संबंधित दावो यथा राज्य बीमा/जीपीएफ ऋण/आहरण/स्वत्व आदि जो एसआईपीएफ विभाग के पोर्टल से जारी होते हैं, का भुगतान संबंधित कोषालय के स्थान पर केन्द्रीयकृत रूप से कोषालय, जयपुर (शहर) से प्रारम्भ किया गया है।
 - V. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.06.2022 के द्वारा राजकीय कार्यालयों के विद्युत व्यय बिलों का ऑटोमेशन दिनांक 15.06.2022 से प्रारम्भ किया गया है।
 - VI. IFMS 3.0 के तहत नई टेक्नालॉजी के साथ सभी एप्लीकेशन विकसित की जा रही है तथा बीएफसी मॉड्यूल विकसित कर दिनांक 02.10.2022 से लागू भी कर दिया गया है।
23. आलौच्य वर्ष 2023-24 में IFMS को नवीन तकनीक Oracle Helidon पर विकसित कर पूर्णतया नवीन स्वरूप में एसएसओ से संबद्ध कर निम्न प्रक्रियाओं के साथ विकसित किया गया है:—
- I. राज्य कार्मिकों को दिनांक 01.06.2023 से Earned Salary Advance Drawal की सुविधा IFMS 3.0 के तहत उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
 - II. राज्य कार्मिकों को सेवानिवृति के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभ उपलब्ध करवाने की सुविधा IFMS 3.0 के तहत दिनांक 01.06.2023 से प्रारम्भ की गई हैं।
 - III. IFMS 3.0 के तहत कार्मिकों से संबंधित प्रक्रियाएं एवं वेतन बिल तैयार करने की सुविधा भी शीघ्र उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
 - IV. **SNA-SPARSH:** भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं हेतु लागू SNA SPARSH को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBMG) के साथ राजस्थान में IFMS से संबद्ध कर देश में सर्वप्रथम चालू किया गया।
 - V. केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के भुगतान हेतु नवीन कोषालय State Cyber Treasury for Schemes का भी गठन किया गया है।
 - VI. बजट: इसके अंतर्गत बीएफसी व बजट वॉल्यूम से संबंधित कार्य IFMS से जोड़ा गया।

(iii) कार्मिक अनुभाग

अधीनस्थ लेखा संवर्ग के नियुक्ति अधिकारी निदेशक, कोष एवं लेखा है। अधीनस्थ लेखा सेवा अनुभाग प्रथम जिसके प्रभारी अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-प्रथम) है, द्वारा राजस्थान अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का संस्थापन संबंधी कार्य किया जाता है। अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग अनुभाग द्वितीय एवं तृतीय, जिसके प्रभारी अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-द्वितीय एवं तृतीय) है, द्वारा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 तथा खण्डीय लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकारों के संस्थापन का कार्य किया जाता है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के लेखाकर्मियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के संधारण का कार्य गोपनीय अनुभाग द्वारा किया जाता है, जिसके प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-प्रथम) है। कार्मिक अनुभाग द्वारा निम्न लिखित कार्य किए जाते हैं :-

1. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग का प्रशासनिक नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी कार्य।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित कनिष्ठ लेखाकारों की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं पदस्थापन सम्बन्धी कार्य।
3. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के लेखाकर्मियों का विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1/1A एवं कनिष्ठ लेखाकारों के स्वीकृत पदों पर पदस्थापन।
4. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की वरिष्ठता सूची जारी करना।
5. कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1A तथा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1A से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1A से लेखाधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करना।
- वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी-1A, सहायक लेखाधिकारी-1A से सहायक लेखाधिकारी-1 एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 से लेखाधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन वर्तमान में लंबित है।
6. कार्मिक अनुभाग की गोपनीय शाखा द्वारा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1A एवं कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धी पत्रावलियों का संधारण, डी.पी.सी., चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृति हेतु एपीएआर सम्बन्धी आकलन प्रपत्र तैयार करना एवं सहायक लेखाधिकारियों की स्थाई सम्पत्ति सम्बन्धी सूचना एकत्र कर तथा अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1/1A व कनिष्ठ लेखाकार के प्राप्त तथा अप्राप्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कराने का कार्य सम्पादित किया जाता है।
7. वर्ष 2023 में कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत शहीद आश्रित कोटे में 10 अनुकम्पात्मक नियुक्तियां प्रदान की गईं।

8. दिनांक 31.12.2023 को अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1	2573	2042	531
2.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11	3815	3643	172
3.	कनिष्ठ लेखाकार	5722	139	5583
	योग	12110	5824	6286

(iv) प्रशासन

प्रशासन अनुभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिये निदेशालय में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) प्रभारी अधिकारी हैं। प्रशासन अनुभाग द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं:-

1. **संस्थापन शाखा** – विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति कार्य, वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति, एसीपी/चयनित वेतनमान स्वीकृति, अनुकम्पात्मक नियुक्ति, सेवानिवृति पर पेंशन स्वीकृत करवाने संबंधी कार्य तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ से संबंधित प्रशासनिक कार्य संपादित किये जाते हैं।
2. **भुगतान शाखा** – विभाग में कार्यरत स्टाफ के मासिक संवेतन, समर्पित अवकाश भुगतान, राज्य बीमा, जी.पी.एफ. ऋण स्वीकृति एवं भुगतान, कार्यालय संचालन हेतु विद्युत, पानी, वाहन किराया, कम्प्यूटर किराया राशि का भुगतान, भवन की सुरक्षा में लगे गार्डस् को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।
3. **स्टोर/भण्डार शाखा** – विभाग में दैनिक कार्य में उपयोग यथा फर्नीचर स्टेशनरी कम्प्यूटर संबंधी सामान का क्रय एवं रख रखाव व पुराने तथा अप्रचलित सामान की नीलामी करने संबंधी कार्य, भवन के रख रखाव व भवन की सुरक्षा से संबंधित कार्य किये जाते हैं।
4. **रिकॉर्ड शाखा** – विभाग की पुरानी पत्रावलियों का संधारण किया जाता है।
5. **पत्र प्राप्ति व प्रेषण शाखा** – इस प्रकोष्ठ के अन्तर्गत विभाग में रोजाना प्राप्त होने वाले पत्रों की प्राप्ति एवं प्रेषित पत्रों का प्रेषण संबंधित अनुभाग में किया जाता है। कार्य में सुविधा की दृष्टि से एक कार्मिक प्रेषित पत्रों से संबंधित कार्य यथा डाक रजिस्टर संधारण, काम में लिए पोस्टेज स्टैम्प्स का रजिस्टर व प्रेषित पत्रों को भेजने संबंधी कार्य करता है तथा दो कार्मिक विभाग में आने वाले पत्रों को प्राप्त करना, प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित शाखा की डाक पंजिका में दर्ज कर संबंधित शाखा में भिजवाने का कार्य संपादित करते हैं।
6. **सूचना प्रौद्योगिकी शाखा** – निदेशालय के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए एक ए.सी.पी. (उपनिदेशक) एक प्रोग्रामर एवं दो सहायक प्रोग्रामर (एक ई-कोषालय में) कार्यरत है। अनुभाग द्वारा निदेशालय के सभी अनुभागों एवं कोषालयों व उपकोषालयों द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों में आई.टी. संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। ए.सी.पी. (उपनिदेशक) निदेशालय की वेबसाईट के नोडल अधिकारी है।

(v)जांच एवं विधि अनुभाग

जांच अनुभाग – जांच अनुभाग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए निदेशालय में उप विधि परामर्शी जांच शाखा के प्रभारी अधिकारी हैं। इस अनुभाग द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा संवर्ग एवं निदेशालय के मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्मिकों के जांच संबंधी प्रकरणों का निष्पादन किया जाता है।

- आलोच्य वर्ष में दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कुल 13 प्रकरण निर्णित किये गये हैं, जिनमें से 08 प्रकरणों में आरोपी को आरोप मुक्त किया गया, 02 प्रकरण में अलिखित चेतावनी दी गई, 01 प्रकरण में सेवा से पदच्युत एवं 01 प्रकरण में एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया।
- राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत 06 प्रकरण निर्णित किये गये हैं, जिनमें से 02 आरोप मुक्त, 02 प्रकरणों में अलिखित चेतावनी दी गयी, 01 प्रकरण में एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया तथा 01 प्रकरण में परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर प्रकरण समाप्त किये गये हैं।
- इस तरह आलोच्य वर्ष में राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 व 17 के कुल 19 विभागीय जांच प्रकरण निर्णित किये गये हैं।

विधि अनुभाग – विधि अनुभाग द्वारा कोष एवं लेखा से संबंधित न्यायिक प्रकरणों का संधारण एवं निष्पादन हेतु पर्यवेक्षणीय कार्य किया जाता है। विधि अनुभाग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के लिए अनुभाग में उपविधि परामर्शी, एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एक कनिष्ठ विधि अधिकारी, एक निजी सहायक ग्रेड-11 एवं दो कनिष्ठ सहायक पदस्थापित है।

आलोच्य वर्ष 2023 में दिनांक 31.12.2023 तक सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में 01, राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल 65 रिट याचिकाएँ/स्पेशल अपील विभाग के विरुद्ध व विभाग के द्वारा एवं राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में 33 प्रकरण तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 05 प्रकरण दायर हुए हैं।

इसी प्रकार वर्ष 2023 में दिनांक 31.12.2023 तक सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में 01, माननीय उच्च न्यायालय में 45 प्रकरण, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में 33 प्रकरण एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 02 प्रकरण निर्णित हुए हैं जिनमें से 55 प्रकरण विभाग के पक्ष में निर्णित हुए हैं।

(vi)अल्प बचत

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.5(7)वित्त/राजस्व/02/पार्ट दिनांक 28.01.2010 के द्वारा दिनांक 01.04.2010 से अल्पबचत एवं राज्य लॉटरी विभाग को निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर में समाहित कर दिया गया है। समाहित विभाग से संबंधित शेष रहे कार्य का निष्पादन अब निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर कलेक्टर के निर्देशन में कोषाधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। निदेशालय कोष एवं लेखा के स्तर पर अल्प बचत संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु उपनिदेशक (अल्पबचत), एक सहायक लेखाधिकारी व एक वरिष्ठ विधि अधिकारी के साथ-साथ मंत्रालयिक संवर्ग, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत है, जिसमें वर्तमान में अल्प बचत शाखा में अतिरिक्त निदेशक (अल्प बचत), उप विधि परामर्शी, सहायक निदेशक (अल्प बचत), कनिष्ठ विधि अधिकारी, एक वरिष्ठ सहायक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। जिला स्तर पर अल्पबचत संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर स्थित कोषालयों के लिए एक-एक पद वरिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-1) के (कुल 7), तथा प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर स्थित कोषालयों के लिए एक-एक पद कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-1A) के (कुल 33) एवं एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कोषालय बांसवाड़ा) सृजित है।

चिटफण्ड – अल्पबचत के कार्यों के निष्पादन के अतिरिक्त चिटफण्ड संबंधी कार्य भी निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है। चिटफण्ड अधिनियम, 1982 एवं चिटफण्ड नियम (राज.), 1989 के अन्तर्गत चिटफण्ड संबंधी कार्य कर रही कंपनियों के पंजीकरण, नियमन इत्यादि का कार्य संपादित किया जाता है। इसके लिए अब वित्त (राजस्व डिवीजन) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(1)एफ.डी./रेवेन्यू/09 पार्ट दिनांक 18.01.2011 के द्वारा निदेशक, कोष एवं लेखा राज0, जयपुर को पंजीयक चिट एवं उप निदेशक (अल्पबचत), कोष एवं लेखा को उप पंजीयक चिट के रूप में नियुक्त किया गया है।

6. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

आलौच्य वर्ष में वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत किए गए नवाचार :-

1. राज्य कार्मिकों को दिनांक 01.06.2023 से Earned Salary Advance Drawal की सुविधा IFMS 3.0 के तहत उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
2. राज्य कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभ उपलब्ध करवाने की सुविधा IFMS 3.0 के तहत दिनांक 01.06.2023 से प्रारम्भ की गई हैं।
3. IFMS 3.0 के तहत कार्मिकों से संबंधित प्रक्रियाएं एवं वेतन बिल तैयार करने की सुविधा भी शीघ्र उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
4. केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के भुगतान SNA-SPARSH प्रणाली से किये जाने की सुविधा विकसित की गई हैं।
5. केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के भुगतान हेतु नवीन कोषालय State Cyber Treasury for Schemes का भी गठन किया गया हैं।

राज्य सरकार के विगत तीन वर्षों में वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत किए गए नवाचार :-

1. कोरोना संक्रमण के दौरान रोकथाम के उपायों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पेपरलेस लेखांकन व ई-पेंशन प्रक्रियाएं संयोजित की गयी। ई-लेखा व ई-पेंशन प्रणाली का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 27.10.2020 को किया गया। इस प्रणाली में विभागीय भुगतान दावों का कोष कार्यालयों में प्रेषण व कोष लेखों का महालेखाकार कार्यालय में प्रेषण पूर्णतः पेपरलेस किया गया है। इसी प्रकार पेंशनर्स को इलेक्ट्रॉनिक पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण व पेंशन जारी करने की प्रक्रिया का ऑटोमेशन करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 10.09.2020 के क्रम से पेपरलेस किया गया।
2. निर्माण विभागों के कार्यों के समुचित पर्यवेक्षण हेतु तथा संवेदकों के भुगतानों में अधिक पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, बीएसआर, जी-शिड्यूल व मेजरमेंट बुक से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं विकसित की गई, जिसे वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.01.2021, 15.03.2021 के द्वारा समस्त निर्माण विभागों/वन विभाग के समस्त निर्माण/वन खण्डों में दिनांक 01.04.2021 से लागू किया गया हैं।
3. वित्त (आर्थिक मामलात्) विभाग के परिपत्र दिनांक 17.06.2021 के द्वारा कार्मिकों के वेतन बिलों की ऑटोमेशन की प्रक्रिया माह जुलाई, 2021 के वेतन बिलों के साथ प्रारम्भ की गई हैं।

4. वित्त (जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र दिनांक 12.08.2021 के द्वारा टेलीफोन एवं पत्र-पत्रिकाओं के व्यय पुनर्भरण की ऑटोमेशन प्रक्रिया माह सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ की गई हैं।
5. एनपीएस कटौतियों के बिलों एवं सीआरए को राशि हस्तांतरण किये जाने की प्रक्रिया का ऑटोमेशन माह दिसम्बर, 2021 से प्रारम्भ किया गया है। जिसके अंतर्गत कार्मिकों की कटौतियां व नियोक्ता अंशदान को बिना किसी विलम्ब के वेतन भुगतान के साथ-साथ ही एनएसडीएल को हस्तांतरित किया जा सकेगा।
6. योजना संचालन के लिए एकल नोडल बैंक खाता एवं एकल नोडल पीडी खाते के माध्यम से संव्यवहार करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत केन्द्रीकृत रूप से योजना संचालन का पर्यवेक्षण संभव होगा तथा सभी परिलाभ हस्तांतरण भी ई-भुगतान के माध्यम से ही होंगे।
7. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 21.03.2022 के अनुसार दिनांक 01.04.2022 में बिल रेफरेन्स नम्बर को ही बिल नम्बर माना जा रहा है।
8. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.04.2022 के अनुसार दिनांक 01.05.2022 से यूनिफाईड निजी निक्षेप खाता पद्धति प्रारम्भ की गई है।
9. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 13.04.2022 के द्वारा ऑनलाईन जमा हुए राजस्व चालानों को विभाग द्वारा डिफेस किए जाने के पश्चात् रिफण्ड किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं।
10. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 09.06.2022 के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से संबंधित दावों यथा राज्य बीमा/जीपीएफ ऋण/आहरण/स्वत्व आदि जो एसआईपीएफ विभाग के पोर्टल से जारी होते हैं, का भुगतान संबंधित कोषालय के स्थान पर केन्द्रीयकृत रूप से कोषालय, जयपुर (शहर) से प्रारम्भ किया गया है।
11. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.06.2022 के द्वारा राजकीय कार्यालयों के विद्युत व्यय बिलों का ऑटोमेशन दिनांक 15.06.2022 से प्रारम्भ किया गया है।
12. आईएफएमएस 3.0 के तहत नई टेक्नालॉजी के साथ सभी एप्लीकेशन विकसित की जा रही हैं तथा बीएफसी मॉड्यूल विकसित कर दिनांक 02.10.2022 से लागू भी कर दिया गया है।

7. सार-संक्षेप

विभाग के प्रमुख कार्य:- राज्य के सभी कोषालयों/उपकोषालयों के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण एवं लेखांकन का कार्य, बजट एवं कोष कार्यालयों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली का संचालन, वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी देने के लिए कोषालयों से प्राप्त विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय के मासिक आंकड़े संकलित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम/द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग का संस्थापन एवं नियंत्रण के कार्य संपादित किये जा रहे हैं।

वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2022 के अनुसार दिनांक 01.04.2022 से रेफरेंस नम्बर को ही बिल नम्बर माना जा रहा है। दिनांक 01.05.2022 से यूनिफाईड निजी निक्षेप खाता पद्धति प्रारम्भ की गई व दिनांक 13.04.2022 के द्वारा ऑनलाइन जमा हुए राजस्व चालानों को विभाग द्वारा डिफेस किए जाने के पश्चात् रिफण्ड किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। परिपत्र दिनांक 09.06.2022 के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से संबंधित दावों यथा राज्य बीमा/जीपीएफ ऋण/आहरण/स्वत्व आदि जो एसआईपीएफ विभाग के पोर्टल से जारी होते हैं, का भुगतान संबंधित कोषालय के स्थान पर केन्द्रीयकृत रूप से कोषालय, जयपुर (शहर) से प्रारम्भ किया गया है। परिपत्र दिनांक 15.06.2022 के द्वारा राजकीय कार्यालयों के विद्युत व्यय बिलों का आटोमेशन दिनांक 15.06.2022 से प्रारम्भ किया गया है एवं आईएफएमएस 3.0 के तहत नई टेक्नालॉजी के साथ सभी एप्लीकेशन विकसित की जा रही हैं तथा बीएफसी मॉड्यूल विकसित कर दिनांक 02.10.2022 से लागू भी कर दिया गया है।

IFMS 3.0 के तहत राज्य कार्मिकों को दिनांक 01.06.2023 से Earned Salary Advance Drawal की सुविधा व राज्य कार्मिकों को सेवानिवृत्त के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभ उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रारम्भ की गई तथा कार्मिकों से संबंधित प्रक्रियाएं एवं वेतन बिल तैयार करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के भुगतान SNA-SPARSH प्रणाली से किये जाने की सुविधा विकसित की गई है एवं भुगतान हेतु नवीन कोषालय State Cyber Treasury for Scheme का भी गठन किया गया है।

8. वित्त विभाग से संबंधित दूरभाष नम्बर

क्र. सं.	नाम	पद	दूरभाष नम्बर	
			कार्यालय	निवास
1	माननीय सुश्री दीया कुमारी	माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)		2222121 2222199
2	श्री अखिल अरोड़ा	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग	2227664	2227741
3	श्री कृष्ण कान्त पाठक	शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग	2227711	2227240
4	श्री नरेश कुमार ठकराल (अति० प्रभार)	शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	2227934	
5	श्री नरेश कुमार ठकराल	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	2227625	
6	श्री बृजेश किशोर शर्मा	निदेशक, वित्त (बजट) विभाग	2227799	
7	श्री श्रीकृष्ण शर्मा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	2227791	
8	श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-I) विभाग	2227775	
9	श्री अरूण कुमार हसीजा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय- II) विभाग	2227636	
10	श्री अपूर्व जोशी	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय- III) विभाग	2227474	
11	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय- IV) विभाग	2227119	
12	श्री वृद्धि चन्द बुनकर	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय- V) विभाग	2227904	
13	श्री मनीष माथुर	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (समन्वय / जी एण्ड टी) विभाग	2227921	
14	श्री सुरेश कुमार वर्मा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-I) विभाग	2227557	2337668
15	श्री सईद जैनुद्दीन शाहिद	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-II) विभाग	2227868	2300442
16	श्रीमती नम्रता वृष्णि	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग	2227162	2710420
17	श्री जसवंत सिंह	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग	2227239	
18	श्री नीलेश शर्मा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग	2385753	
19	श्री आशुतोष वाजपेयी	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आ० मा०) विभाग	2227556	
20	श्रीमती रितु गुप्ता	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ऑडिट) विभाग	2227450	
21	श्री पवन जैमन	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग	2227468	
22	श्री धनलाल शेरावत	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा / पेंशन) विभाग	2385649	
23	श्री अकुल भार्गव	तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग	2227094	2592426
24	श्री राम कृष्ण भूरिया	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग	2227101	
25	श्री विनोद अग्रवाल	वरिष्ठ उप शासन सचिव, वित्त विभाग	2227664	
26	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत	विशेषाधिकारी, वित्त (कर अनुसंधान प्रकोष्ठ) विभाग	2385742	
27	श्री मुकेश श्रीवास्तव	उप शासन सचिव, वित्त विभाग	2227664	
28	श्री धुपेन्द्र कुमार जैन	उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग		

अन्य संबंधित विभाग

1	श्री रवि कुमार सुरपुर	आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग	2227552	
2	श्री ओम कसेरा	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर	2524911	
3	श्री पीयूष सामरीया	महानिरीक्षक, पंजीयन मुद्रांक विभाग, अजमेर	2971201	
4	श्रीमती हेमपुष्पा शर्मा (अति० प्रभार)	निदेशक, बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	2200786	
5	श्री आनन्द स्वरूप	महानिदेशक, एस.डी.आर.आई.	2744781	
6	श्री भूपेश माथुर	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर, राजस्थान	2740239	
7	डॉ. देवराज	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	2740678	
8	श्री संजय सोलंकी	निदेशक, निरीक्षण विभाग	2740324	
9	श्री मेवाराम जाट	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	2740179	

नोट:- दिनांक 31.12.2023 के अनुरूप दर्शाये गये हैं।

9. निदेशालय कोष एवं लेखा से संबंधित दूरभाष नम्बर

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	दूरभाष नम्बर	
			कार्यालय	निवास
1.	श्री भूपेश माथुर	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर	2740239 2742309 FAX	
2.	श्रीमती अमिता शर्मा	अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट) एवं परियोजना निदेशक (आई.एफ.एम.एस.)	2743752	2707219
3.	श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता	अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)	2740837	2552983
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद रैगर	अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)	2740735	
5.	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	2744861	
6.	श्रीमती कमलप्रीत कौर	कोषाधिकारी (ई-कोषालय)	2744294	2790493
7.	श्री सूरज प्रकाश मीणा	संयुक्त निदेशक (कोष/आरटीआई)	2740254	
8.	श्री कृष्ण प्रताप सिंह	उप निदेशक (आई.एफ.एम.एस.)		
9.	श्री चन्द्रशेखर गौड	उप विधि परामर्शी (जॉच/विधि)		
10.	श्री राजीव भटनागर	उप निदेशक (आई टी/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर)	2744488	
11.	सुश्री कुसुम मीना	उप निदेशक (कार्मिक-I/एपीएआर)		
12.	श्रीमती भारती शेखावत	उप निदेशक (कार्मिक-II)		
13.	श्री विवेक बंसल	उप निदेशक/कोषाधिकारी (साईबर ट्रेजरी)		
14.	श्री अनिल खन्ना	संस्थापन अधिकारी (प्रशासन)		
15.	सुश्री संतोष चेंची	सहायक निदेशक (आई.एफ.एम.एस.)		
16.	सुश्री ज्योत्सना खेड़ा	सहायक निदेशक (अल्प बचत)		
17.	श्री राजेश माथुर	निजी सचिव	2740239	
18.	श्री सीता राम शर्मा	लेखाधिकारी		
19.	श्री पवन कुमार मोदी	लेखाधिकारी		
20.	श्री सुरेश वर्मा	लेखाधिकारी		
21.	सुश्री प्रेम जैन	प्रशासनिक अधिकारी		
22.	श्री दिनेश चन्द गुप्ता	डेस्क ऑफिसर (कोष)		
23.	श्री प्रकाश यादव	डेस्क ऑफिसर (भुगतान)		
24.	श्री कैलाश चन्द गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
25.	श्री अरुण हल्लिया	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
26.	श्री राजीव कुमार जैन	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
27.	श्री अजय दत्त माथुर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
28.	श्री रमाकांत सरोलिया	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
29.	श्री महेन्द्र गोयल	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
30.	श्री सर्वजीत सिंह	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
31.	श्री अजय सांखला	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
32.	श्री हरिश कुमार यादव	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
33.	श्री देवेन्द्र तिवाड़ी	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
34.	श्री शान्तनु चटर्जी	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
35.	श्री संजय सिंहवाल	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
36.	श्री अनिल कुमार शर्मा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
37.	श्री मधुसूदन शर्मा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
38.	श्री चन्द्रोदय श्रीमाली	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
39.	श्री सुरेश सोमानी	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
40.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
41.	श्री संतोष कुमार शर्मा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I		
42.	श्री बजरंग सिंह	अतिरिक्त निजी सचिव	2743752	
43.	श्री देवेन्द्र तनेजा	अतिरिक्त निजी सचिव		
44.	श्री रामकिशोर शर्मा	प्रोग्रामर		
45.	श्री इरफान अहमद कुरैशी	प्रोग्रामर		

10. राज्य के कोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर

क्र.सं.	कोषालय	नाम कोषाधिकारी	S.T.D. कोड	दूरभाष		
				कार्यालय	निवास	कम्प्यूटर कक्ष
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री				
I. अजमेर संभाग						
1	अजमेर	प्रतिभा चूडावत	0145	2627938	-	2632561
2	ब्यावर	रमेश वर्मा	01462	257287	252350	256631
3	डीडवाना-कुचामन	कैलाश चन्द्र नागर				
4	कैकड़ी	ओम प्रकाश मीना	01467	221825	-	-
5	नागौर	रामानुज मालानी	01582	244863	245654	240870
6	शाहपुरा	प्रियकान्त	01484	222264	-	-
7	टोंक	अबधेश कुमार शर्मा	01432	246957	244033	247319
II. बांसवाड़ा संभाग						
8	बांसवाड़ा	भगुता राम	02962	241015	248743	246180
9	डूंगरपुर	जयसिंह डामोर	02964	232281	-	234020
10	प्रतापगढ़	जितेन्द्र कुमार मीना	01478	223099	220589	220188
III. भरतपुर संभाग						
11	भरतपुर	आशापाल मौर्य	05644	223575	-	228189
12	डीग	डॉ. देवेन्द्र धवन	05641	230395	-	-
13	धौलपुर	कैलाश चन्द्र मीना	05642	220894	-	220994
14	गंगापुरसिटी	गिरिराज प्रसाद गुप्ता	07463	234083	-	-
15	करौली	भरत लाल मीना	07464	250543	-	250134
16	सवाईमाधोपुर	कुलदीप सिंह मीना	07462	220271	220711	223871
IV. बीकानेर संभाग						
17	अनूपगढ़	ज्योति	01498	254040	-	-
18	बीकानेर	धीरज जोशी	0151	2226008	2226009	2530308
19	हनुमानगढ़	मनोज कुमार मोदी	01552	260727	224045	265927
20	श्रीगंगानगर	कृष्ण कुमार शर्मा	0154	2445082	2462721	2442865
V. जयपुर संभाग						
21	अलवर	राजकुमार	0144	2700016	-	2701592
22	दौसा	जगदीश प्रसाद मीना	01427	224679	-	223305
23	दूदू	गोपाल कृष्ण सांभरिया	01428	277525	-	-
24	खैरथल-तिजारा	सुरेश कुमार बंसल				
25	कोटपूतली-बहरौड़	अशोक कुमार वर्मा				
26	जयपुर (शहर)	जय कौशिक	0141	2209051 2209050	-	2200415 5111422
27	जयपुर (ग्रामीण)	मयंक शुक्ला	0141	2326130	2790969	2318898
28	जयपुर (सचिवालय)	डॉ. संगीता राठौड़	0141	2227067	2941253	2227626
29	जयपुर (PPO पेंशन)	लेख राम मीना	0141	2315908	2235705	2312829

VI. जोधपुर संभाग						
30	बाड़मेर	जसराज चौहान	02982	220404	226648	-
31	बालोतरा	करना राम				
32	फलौदी	प्रेम प्रकाश	02925	222749	-	-
33	जैसलमेर	जीया राम	02992	252462	254962	254852
34	जोधपुर (शहर)	दिनेश कुमार	0291	2650328	2650329	2650338
35	जोधपुर (ग्रामीण)	अलका सिंह	0291	2650336	2716783	2650339
VII. कोटा संभाग						
36	बांरा	सावन गर्ग	07453	237013	-	237011
37	बूंदी	अंजनी कुमार शर्मा	0747	2443989	2442550	2447253
38	झालावाड़	कपिल देव कांसलीवाल	07432	230439	233624	233482
39	कोटा	आशीष शर्मा	0744	2323964	-	2325922 2320902
VIII. पाली संभाग						
40	जालोर	गिरधारी राम गोदारा	02973	222473	226197	225380
41	पाली	रतनलाल प्रजापत	02932	250220	223430	222711
42	सांचौर	दिनेश सारण	02979	284265	-	-
43	सिरोही	अम्बिका राणावत	02972	221262	220276	223729
IX. सीकर संभाग						
44	चूरु	सुशील कुमार	01562	250230	254242	250182
45	झून्झूनु	सतीश कुमार	01592	232397	231200	237559
46	नीम का थाना	विकास कुमार सुरेला	01574	232418	-	-
47	सीकर	अर्जुन लाल गुर्जर	01572	251084	257090	244185
X. उदयपुर संभाग						
48	भीलवाड़ा	डॉ. टीना रोलानिया	01482	232616	232617	231936
49	चित्तौड़गढ़	दिग्विजय सिंह झाला	01472	241097	-	248850
50	राजसमंद	विशाल अग्रवाल	02952	225790	224625	220205
51	सलूमबर	पार्थ शर्मा	02906	232382	-	-
52	उदयपुर (शहर)	सीमा गीतेश श्री	0294	2411987	2411470	2426190 2423703
53	उदयपुर (ग्रामीण)	सीमा यादव	0294	2410587	-	-
54	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	रेखा मीना	011	23383147	9560425688 त्रिपाठी	
55	ई-कोषालय	कमलप्रीत कौर	0141	2744294	-	-
56	स्टेट साइबर कोषालय (स्कीम्स)	विवेक बंसल			8287768978, 7014206938	

11. राज्य के उप कोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर

क्र.स.	जिला	कोषालय	उपकोष		STD Code	दूरभाष नम्बर
			संख्या	स्थान		
1	2	3	4	5	6	7
I	अजमेर सम्भाग					
1	अजमेर	अजमेर			0145	2627938
			7	1. अजमेर (पेंशन)	0145	2627936
				2. अराई	01463	281213
				3. किशनगढ़	01463	247081
				4. नसीराबाद	01491	220523
				5. पीसांगन	0145	2775355
				6. पुष्कर	0145	2773291
				7. रूपनगढ़	01497	225881
2	ब्यावर	ब्यावर			01462	257287
			3	8. जैतारण	02939	223192
				9. मसुदा	01462	266471
				10. रायपुर	02937	220755
3	डीडवाना-कुचामन	डीडवाना			01580	221622
			5	11. कुचामनसिटी	01586	222107
				12. लाडनू	01581	226275
				13. मकराना	01588	245664
				14. नावां	01586	262046
				15. परबतसर	01589	270588
4	केकड़ी	केकड़ी			01467	221825
			3	16. भिनाय	01466	273305
				17. सरवाड़		
				18. टोडारायसिंह	01433	232219
5	नागौर	नागौर			01582	244863
			7	19. डेगाना	01587	222684
				20. जायल	01583	272130
				21. खीवसर	01585	262086
				22. मेड़ता	01590	230453
				23. मुण्डवा	01584	283085
				24. नागौर (पेंशन)	01582	245807
				25. रियाबड़ी	01591	240037

6	शाहपुरा	शाहपुरा				01484	222264
			3	26. बनेड़ा		01487	272616
				27. जहाजपुर		01485	230104
				28. कोटड़ी		01488	235022
7	टोंक	टोंक				01432	246957
			5	29. देवली		01434	232477
				30. मालपुरा		01437	225992
				31. निवाई		01438	222324
				32. पीपलू		01435	278175
				33. उनियारा (अलीगढ़)		01436	266135
II. बांसवाड़ा सम्भाग							
1	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा				02962	241015
			6	34. आनन्दपुरी		-	-
				35. बागीदौरा		02968	280577
				36. गढ़ी (परतापुर)		02963	222608
				37. घाटोल		02961	235773
				38. कुशलगढ़		02965	275812
				39. सज्जनगढ़		-	-
2	डूंगरपुर	डूंगरपुर				02964	234020
			4	40. आसपुर		02967	271042
				41. बिच्छीवाड़ा		-	-
				42. सागवाड़ा		02966	254230
				43. सीमलवाड़ा		02964	240171
3	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़				01478	223099
			4	44. अरनोद		01479	242550
				45. छोटीसादड़ी		01473	262533
				46. धरियावद		02950	270546
				47. पीपलखूंट		02961	233334
III. भरतपुर सम्भाग							
1	भरतपुर	भरतपुर				05644	223575
			6	48. बयाना		05648	220756
				49. भरतपुर (पेंशन)		05644	223575
				50. भुसावर		05643	270027
				51. नदबई		05643	223914
				52. रूपवास		05645	243206
				53. वैर		05643	272220

2	डीग	डीग			05641	230395
			4	54. कामां	05640	220018
				55. कुम्हेर	05644	240927
				56. नगर	05641	242053
				57. पहाड़ी	05640	242030
3	धौलपुर	धौलपुर			05642	220894, 220994
			4	58. बाड़ी	05647	273313
				59. बसेड़ी	05646	266107
				60. राजाखेड़ा	05642	233034
				61. सेपऊ	05642	266023
4	गंगपुरसिटी	गंगपुरसिटी			07463	234083
			3	62. बामनवास	07467	222049
				63. नादौती	07463	244006
				64. टोडाभीम	07461	230042
5	करौली	करौली			07464	250134
			4	65. हिण्डौन	07469	231343
				66. मासलपुर	-	-
				67. मण्डरायल	07464	226274
				68. सपोटरा	07465	252810
6	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर				
			4	69. बौली	07466	247025
				70. चौथ का बरवाड़ा	07462	257078
				71. खण्डार	07468	241301
			72. मलारनाडूंगर	07466	272045	
IV. बीकानेर सम्भाग						
1	अनूपगढ	अनूपगढ			01498	254040
			5	73. छतरगढ	01520	242236
				74. घड़साना	01506	250750
				75. खाजूवाला	01520	232756
				76. रायसिंह नगर	01507	220110
				77. श्रीविजयनगर	01498	230999
2	बीकानेर	बीकानेर			0151	2226008, 2530308
			6	78. बीकानेर (पेंशन)	0151	2201079
				79. कोलायत	01534	236428
				80. लूणकरणसर	01528	271005
				81. नोखा	01531	223304
				82. पूंगल	01523	265445
				83. श्रीडूंगरगढ	01565	222939

3	हनुमानगढ	हनुमानगढ			01552	260727, 265927
			6	84. भादरा	01504	223990
				85. नोहर	01555	221468
				86. पीलीबंगा	01508	233323
				87. रावतसर	01537	251258
				88. संगरिया	01499	253201
				89. टिब्बी	01539	234031
4	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर			0154	2445082
			4	90. पदमपुर	01505	233322
				91. सार्दुलशहर	01503	224032
				92. श्रीकरणपुर	01501	228317
				93. सूरतगढ	01509	223450
V. जयपुर सम्भाग						
1	अलवर	अलवर			0144	2700016
			7	94. अलवर (पेंशन)	0144	2339221
				95. कटूमर	01492	260870
				96. लक्ष्मणगढ	01492	231060
				97. राजगढ	01464	221448
				98. रामगढ	01468	232083
				99. रेणी	01464	252002
				100. थानागाजी	01465	224419
2	दौसा	दौसा			01427	223305
			4	101. बसवा	01420	231265
				102. लालसोट	01431	222813
				103. महुआ	07461	284451
				104. सिकराय	01420	275029
3	दूदू	दूदू			01428	277525
			2	105. फागी	01430	282059
				106. मौजमाबाद	01428	252604
4	खैरथल-तिजारा	खैरथल				
			4	107. किशनगढबास	01460	242859
				108. कोटकासिम	01460	235762
				109. मण्डावर	01495	260709
		110. तिजारा	01469	262460		

5	कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली			01421	224339
			4	111. बहरोड	01494	230538
				112. बानसूर	01461	232001
				113. नीमराणा	01494	246079
				114. विराटनगर	01422	234097
6	जयपुर (शहर)	जयपुर (शहर)			0141	2209050
			1	115. राजस्थान विधानसभा	0141	2744337
7	जयपुर (ग्रामीण)		9	116. आमेर	0141	2530883
				117. बस्सी	01472	223511, 223898
				118. चाकसू	01429	243332
				119. चौमू	01423	220896
				120. जमवारामगढ़	01426	287530
				121. किशनगढ़-रेनवाल	-	-
				122. सांभरलेक	01425	224664
				123. सांगानेर	0141	2730391
				124. शाहपुरा	01422	225461
8	जयपुर	कोषालय सचिवालय			0141	2227067
9	जयपुर	पी.पी.ओ.जयपुर			0141	2315908
			1	125. उपकोष पेंशन	-	-
VI. जोधपुर सम्भाग						
1	बाडमेर	बाडमेर			02982	220404
			6	126. चौहटन	02989	286130
				127. धोरीमन्ना	-	-
				128. गुडामलानी	02983	253095
				129. रामसर	02985	220078
				130. शिव	02987	253095
				131. सेड़वा	-	-
2	बालोतरा	बालोतरा				
			4	132. बायतु	02982	241121
				133. पचपदरा	02988	281698
				134. सिणधरी	-	-
				135. सिवाना	02901	230613
3	फलौदी	फलौदी			02925	222749
			1	136. बाप	02921	277000
4	जैसलमेर	जैसलमेर			02992	252462
			2	137. फतेहगढ़	02993	275446
				138. पोकरण	02994	222783

5	जोधपुर	जोधपुर (शहर)				0291	2650328
6	जोधपुर (ग्रामीण)					0291	2650336
			8	139. बालेसर		02929	242002
				140. बावडी		02927	265022
				141. भोपालगढ		02920	240809
				142. बिलाडा		02930	221470
				143. लूणी		02931	284370
				144. औसिया		02922	274544
				145. पीपाडसिटी		-	-
	146. शेरगढ		02929	243517			
VII. कोटा सम्भाग							
1	बांरा	बांरा				07453	237013, 237014
			7	147. अन्ता		07457	244001
				148. अटरू		07451	240214
				149. छबड़ा		07452	222710
				150. छीपाबड़ौद		07454	286074
				151. किशनगंज		07456	253321
				152. मांगरोल		07457	223262
				153. शाहबाद		07460	262435
2	बून्दी	बून्दी				0747	2443989
			5	154. हिण्डोली		07436	276248
				155. इन्द्रगढ़		07458	253850
				156. केशोरायपाटन		07438	264705
				157. नैनवां		07437	257768
				158. तालेड़ा		0747	2438004
3	झालावाड़	झालावाड़				07432	230439
			7	159. अकलेरा		07431	272863
				160. गंगधार		07435	284429
				161. झालरापाटन		07432	240868
				162. खानपुर		07430	261603
				163. पचपहाड		07433	222882
				164. पिड़ावा		07434	258041
				165. मनोहरथाना		07431	274717

4	कोटा	कोटा			0744	2323964
			5	166. दीगोद	07455	234617, 234600
				167. कोटा (पेंशन)	0744	2331280
				168. पीपलदा	07458	275333
				169. रामगंजमण्डी	07459	221547
				170. सांगोद	07450	233233
VIII. पाली सम्भाग						
1	जालौर	जालौर			02973	222473
			4	171. आहोर	02978	282020
				172. भीनमाल	02969	222519
				173. जसवंतपुरा	-	-
				174. सायला	02977	272022
2	पाली	पाली			02932	222711
			7	175. बाली	02938	223058
				176. देसूरी	02934	254173
				177. खारची (मारवाड़ जंक्शन)	02935	252360
				178. रानी	02934	220056
				179. रोहट	02936	268181
				180. सोजत	02960	220392
				181. सुमेरपुर	02933	253939
3	सांचौर	सांचौर			02979	284265
			3	182. बागौडा	02969	264294
				183. चितलवाना	-	-
				184. रानीवाड़ा	02990	231141
4	सिरोही	सिरोही			02972	221262
			4	185. आबूरोड़	02974	222647
				186. पिण्डवाड़ा	02971	281146
				187. रेवदर	02975	283035
				188. शिवगंज	02976	272360

IX. सीकर सम्भाग								
1	चूरु	चूरु				01562	250230	
			6	189. बीदासर			1560	262501
				190. रतनगढ़			01567	222013
				191. सादुलपुर (मु.राजगढ़)			01559	223240
				192. सरदारशहर			01564	223818
				193. सुजानगढ़			01568	222294
				194. तारानगर			01561	241504
2	झुन्झुनू	झुन्झुनू				01592	232397	
			6	195. बुहाना			01593	288302
				196. चिड़ावा			01596	220007
				197. झुन्झुनू (पेंशन)			01592	230033
				198. मलसीसर			01595	246490
				199. नवलगढ़			01594	224710
				200. सूरजगढ़			01596	237236
3	नीमकाथाना	नीमकाथाना				01574	232418	
			3	201. खेतड़ी			01593	234093
				202. श्रीमाधोपुर			01575	251055
				203. उदयपुरवाटी			01594	234727
4	सीकर	सीकर				01572	251084	
			5	204. दांतारामगढ़			01577	-
				205. फतेहपुर			01571	231057
				206. खण्डेला			01575	260057
				207. लक्ष्मणगढ़			01573	224448
				208. सीकर(पेंशन)			01572	244186
X. उदयपुर सम्भाग								
1	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा				01482	232616	
			7	209. आसीन्द			01480	220777
				210. बिजौलिया			01489	236208
				211. हुरड़ा			01483	221430
				212. माण्डल			01486	266476
				213. माण्डलगढ़			01489	230364
				214. रायपुर			01481	230231
				215. सहाड़ा (मु. गंगापुर)			01481	221231

2	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़			01472	241097
			10	216. बड़ीसादड़ी	01473	264537
				217. बेगू	01474	220806
				218. भदेसर	01470	243222, 243306
				219. भूपालसागर	-	-
				220. डूंगला	01470	247205
				221. गंगरार	01471	220023
				222. कपासन	01476	231144
				223. निम्बाहेड़ा	01477	222361
				224. राशमी	01471	226407
				225. रावतभाटा	01475	234525
3	राजसमन्द	राजसमन्द			02952	220205, 225790
			6	226. आमेट	02908	251104
				227. भीम	02951	250345
				228. देवगढ़	02904	252835
				229. कुम्भलगढ़	02954	242140
				230. नाथद्वारा	02953	231745
				231. रेलमगरा	02952	267850
4	सलूमबर	सलूमबर			02906	232382
			2	232. लसाड़िया	02956	282028
				233. सराड़ा	02905	260353
5	उदयपुर	उदयपुर (शहर)			0294	2411987
6	उदयपुर	उदयपुर (ग्रामीण)			0294	2410587
			7	234. गोगुन्दा	02956	282022
				235. झाडोल (फलासिया)	02959	220293
				236. खैरवाड़ा	02907	260903
				237. कोटड़ा	02958	227407
				238. मावली	02955	263842
				239. ऋषभदेव	02907	230019
	240. वल्लभनगर	02957	240202			